

प्रथक

यशोन्द सिंह, भा.प्र.से.,  
उपायुक्त, रेवाड़ी।

328

प्रेषित,

1. कार्यकारी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं मार्ग शाखा), रेवाड़ी।
2. कार्यकारी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (विद्युत मण्डल), रेवाड़ी।
3. कार्यकारी अभियन्ता, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, रेवाड़ी/धारुहेड़ा/कोसली।
4. कार्यकारी अभियन्ता, जनस्वास्थ्य विभाग, रेवाड़ी।
5. कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद, रेवाड़ी।
6. सचिव, नगर पालिका, धारुहेड़ा/बावल।


यादी क्रमांक 3561-3569/COVID

दिनांक 30-12-2020

विषय- COVID-19 को मध्य नजर रखते हुए बनाए राहगिरो के लिए बनाए गए विश्राम गृहों के बारे।

उपरोक्त विषय पर आपको लिखा जाता है नोवेल कोरोना वायरस फैला हुआ है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा महामारी घोषित किया जा चुका है। जिसकी रोकथाम हेतु भारत सरकार द्वारा पूरे देश में लॉकडाउन किया हुआ है। परन्तु कुछ प्रवासी मजदूर/ राहगीर ऐसे हैं जिनका ठहरने व खाने पीने की व्यवस्था हेतु उपमण्डलाधीश, रेवाड़ी, बावल तथा कोसली द्वारा अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में विश्राम गृह बनाए हुए हैं।

अतः सम्बन्धित उपमण्डलाधीशों से समन्वय स्थापित करके यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके अधिकार क्षेत्र में स्थापित विश्राम गृहों में बिजली, पानी, साफ-सफाई, व शौचालय में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है ताकि उनमें रुकने वाले राहगिरो को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। यदि उन द्वारा कोई कमी बताई जाती है तो आप तुरन्त अपने विभाग से सम्बन्धित समस्या का समाधान करवाना सुनिश्चित करें।


  
यशोन्द सिंह, भा.प्र.से.,  
उपायुक्त, रेवाड़ी।

पृ0कमांक 3570-3572/कोविड-19

दिनांक 30-3-2020

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उपमण्डलाधीश, रेवाड़ी।
2. उपमण्डलाधीश, बावल।
3. उपमण्डलाधीश, कोसली।

  
यशोन्द सिंह, भा.प्र.से.,  
उपायुक्त, रेवाड़ी।